

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, झरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प खासोली

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खासोली व भूअ.नि. रतन नगर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार झरु / नायब तहसीलदार झरु की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खासोली तहसील झरु व जिला झरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 435 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	खासोली	435	सुखदेव पुत्र मालाराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी <u>खासोली</u> खातेदार	सुखाराम पुत्र मालाराम जाति ब्राह्मण निवासी <u>खासोली</u> खातेदार



(06/10/21)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा. कलक्टर, झरु

दिनांक :- 06/10/2021

क्रमांक :- 48/2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, झरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुखाराम पुत्र मालाराम जाति ब्राह्मण निवासी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। खासोली

ना/06/2043
09/10/2021

(06/10/21)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर,

